

आर.बी.सी.सी. डायरी सं./RBCC Diary No & Date :
(आवेदनकर्ता सदमें स / Applicant Ref.No.7331-12/03/2019)

वेबसाइट पर कंटेंट अपलोड करने का फार्म

Form for content upload on website

1. अपलोडिंग हेतु कंटेंट लाने वाले का नाम : Avinash Sharma
 Name of Deputed person for uploading
2. पदनाम / Designation : DDT(G)III
3. अपलोड किया जाने वाला फाइल सं. : 2019/TG-II/1010/9/Uniforms
 File No. being uploaded
4. अपलोड किया जाने वाला पत्र/सर्कूलर/टेंडर सं. : 16
 Letter /Circular/Tender No. being uploaded
5. दिनांक / Date : 07/03/2019
6. विषय / Subject : Facilities for Sahayaks (Licensed Porters)-uniforms
7. कुल पृष्ठ सं. /Total Number of Page(s) : 1
8. कहां अपलोड किया जाना है /To be uploaded on : Internet-Railnet
9. वेबसाइट के उस सेक्शन का नाम - कंटेंट अपलोड किया जाना है। Location of website section to which content is to be uploaded
10. क्या कंटेंट सूचना का अधिकार के अधिनियम 4(1)(बी) से संबंधित है, यदि हाँ संबंधित नियम स0 और उसका लिंक विवरण दें : No
 Whether content pertaining to RTI Act 4(1)(b), if Yes, Please indicate clause and Link of RB website.
11. वेबसाइट से कंटेंट हटाए जाने की तारीख, यदि कोई हो :
 Date of content to be removed from website, if any
12. क्या उपलब्ध कंटेंट द्विभाषा(हिंदी एवं अंग्रेजी) में है : No
 Whether provided content in bilingual
13. क्या कंटेंट ई-मेल से भेजा गया है : Yes
 Whether content sent by email to -
contentmanager@rb.railnet.gov.in
[\[mailto:contentmanager@rb.railnet.gov.in\]](mailto:contentmanager@rb.railnet.gov.in)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध कराई गई सॉफ्टकॉपी योग्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित कंटेंट के समान है और वेबसाइट पर अपलोड किए जाने योग्य है।/It is certified that the soft copy provided for uploading is as approved by the competent authority and is suitable for uploading on the webpage.

वेबसाइट से कंटेंट की आवश्यकता खत्म होने पर इसे हटाने की सूचना नोडल ऑफिसर दें, यदि लाग हो।/The Nodal Officer shall intimate for removal of the above content on its expiry from website, if applicable.

कंटेंट की सूची/टिप्पणी

List of content(s)/Remarks :

नोडल ऑफिसर का हस्ताक्षर / Signature of Nodal Officer

नाम / Name : Avinash Sharma

आरयूआईडी सं/RUID No : 1894689

पद / Designation : DDT(G)III

निदेशालय / Directorate : TG-2

ईमेल / E-mail :

दूरभाष सं./Rly.Phone No : 43566 P&T/CUG : 9717647068

वरिंग प्रोग्रामर, रेलवे बोर्ड कंप्यूटर सेंटर

आर.बी.सी.सी. डायरी सं./RBCC Diary No & Date :
(आवेदनकर्ता सदमें स / Applicant Ref.No.7330-12/03/2019)

**वेबसाइट पर कंटेंट अपलोड करने का फार्म
Form for content upload on website**

- | | |
|---|--|
| 1. अपलोडिंग हेतु कंटेंट लाने वाले का नाम
Name of Deputed person for uploading | : Avinash Sharma |
| 2. पदनाम / Designation | : DDTC(G)III |
| 3. अपलोड किया जाने वाला फाइल सं.
File No. being uploaded | : 219/TG-II/1010/Rest Shelters/Policy |
| 4. अपलोड किया जाने वाला पत्र/सर्कूलर/टेंडर सं.
Letter /Circular/Tender No. being uploaded | : 15 |
| 5. दिनांक / Date | : 07/03/2019 |
| 6. विषय / Subject | : Facilities for Sahayaks (licensed porters) |
| 7. कुल पृष्ठ सं. /Total Number of Page(s) | : 1 |
| 8. कहां अपलोड किया जाना है /To be uploaded on | : Internet-Railnet |
| 9. वेबसाइट के उस सेक्शन का नाम - कंटेंट अपलोड किया जाना
हैLocation of website section to which content is to be
uploaded | : Traffic Commercial |
| 10. क्या कंटेंट सचना का अधिकार के अधिनियम 4(1)(बी) से संबंधित है, : No
यदि हां संबंधित नियम स0 और उसका लिंक विवरण दै
Whether content pertaining to RTI Act 4(1)(b), if Yes,
Please indicate clause and Link of RB website. | |
| 11. वेबसाइट से कंटेंट हटाए जाने की तारीख, यदि कोई हो
Date of content to be removed from website, if any | : |
| 12. क्या उपलब्ध कंटेंट द्विभाषा(हिंदी एवं अंग्रेजी) में है
Whether provided content in bilingual | : No |
| 13. क्या कंटेंट ई-मेल से भेजा गया है
Whether content sent by email to -
contentmanager@rb.railnet.gov.in
[mailto: contentmanager@rb.railnet.gov.in] | : Yes |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध कराई गई सॉफ्टकॉपी योग्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित कंटेंट के समान है और वेबसाइट पर अपलोड किए जाने योग्य हैं।/It is certified that the soft copy provided for uploading is as approved by the competent authority and is suitable for uploading on the webpage.

वेबसाइट से कंटेंट की आवश्यकता खत्म होने पर इसे हटाने की सचना नोडल ऑफिसर दें, यदि लाग हो।
The Nodal Officer shall intimate for removal of the above content on its expiry from website, if applicable.

कंटेंट की सूची/टिप्पणी

List of content(s)/Remarks :

नोडल ऑफिसर का हस्ताक्षर / Signature of Nodal Officer

नाम / Name : Avinash Sharma

आरयूआईडी सं/RUID No : 1894689

पद / Designation : DDTC(G)III

निदेशालय / Directorate : TG-2

ईमेल / E-mail :

दूरभाष सं./Rly.Phone No : 43566 P&T/CUG : 9717647068

**वरिं0 प्रोग्रामर, रेलवे बोर्ड कंप्यूटर सेंटर
Sr.Programmer, RBCC**

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2019/टीजी-II/1010/7 रेस्ट शेल्टर्स/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक: 07.03.2019

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.

वाणिज्यिक परिपत्र सं.15/2019


विषय: सहायकों (लाइसेंसधारी कुलियों) के लिए सुविधाएं।

सहायकों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है:-

1. 50 और इससे अधिक संख्या के सहायकों वाले सभी स्टेशनों पर सहायकों के विश्राम गृह उत्तरोत्तर ढंग से मुहैया कराए जाएंगे।
2. सहायकों के विश्राम गृह में टीवी, आरओ वाटर, बैरक बेड मुहैया कराए जाएंगे।
3. प्रमुख स्टेशनों पर ट्रॉलियों / ठेला गाड़ियों के सुगमता से आने-जाने की सुविधा के लिए रास्ते बनाए जाएंगे।

इसे बोर्ड (एमटी, एफसी, सीआरबी) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सभी क्षेत्रीय रेलों को सलाह दी जाती है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इस कार्यालय को सूचित किया जाए।


(समीर कुमार)

निदेशक यातायात वाणिज्य (सामान्य)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, सभी भारतीय रेलें।

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2019/टीजी-II/1010/9 यूनिफॉर्मस

नई दिल्ली, दिनांक: 07.03.2019

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.


वाणिज्यिक परिपत्र सं.16/2019

विषय: सहायकों (लाइसेंसधारी कुलियों) को वर्दी की सुविधाएं।

उपर्युक्त विषय पर पिछले आदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि, सहायकों को प्रत्येक वर्ष तीन (03) लाल शर्ट और एक (01) ऊनी शर्ट दी जाएंगी।

इसे बोर्ड (एमटी, एफसी, सीआरबी) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सभी क्षेत्रीय रेलों को सलाह दी जाती है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इस कार्यालय को सूचित किया जाए।


(नीरज शर्मा)

कार्यकारी निदेशक यात्री विपणन

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, सभी भारतीय रेलें।